

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 27 / कम्प्यूटर उपकरण रखरखाव / 2022-23 / 4661

दिनांक : 6.3.2024

सीमित निविदा सूचना

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर के बनी पार्क स्थित मुख्यालय कार्यालय एवं नेहरू सहकार भवन में स्थित बीमा विभाग कार्यालय में स्थित स्थापित कम्प्यूटर / प्रिन्टर / स्कैनर / लेपटॉप / नेटवर्किंग की मय पार्ट्स रख-रखाव मय टोनर रिफिल का कार्य (अनुमानित लागत 1.80 लाख) कराने हेतु रजि. फर्म / कम्पनी संस्था से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म / कम्पनी / संस्था निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक: 11/3/24 को साय: 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान उपापन पोर्टल ([www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in)) एवं विभाग की वेबसाईट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक: 11/3/24 को साय: 1.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 11/03/2024 को साय: 4.00 बजे खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

*dwf*  
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)  
कार्यालयाध्यक्ष

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर

1  
6

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

विषय:- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के बनी पार्क स्थित मुख्यालय कार्यालय तथा नेहरू सहकार भवन में स्थित बीमा विभाग कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर / प्रिन्टर/स्केनर/लेपटॉप/नेटवर्किंग की मय पाटर्स रख-रखाव एवं टोनर रिफिल कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1. नाम फर्म / कम्पनी / संस्था:-.....  
पता :-.....  
टेलीफोन :-.....  
पैन न :-.....  
फर्म का रजि. न :-.....  
GST न :-.....

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ..... दिनांक .....
3. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के बनी पार्क स्थित मुख्यालय कार्यालय तथा नेहरू सहकार भवन में स्थित बीमा विभाग कार्यालय में स्थापित मुख्यालय में स्थापित कम्प्यूटर / प्रिन्टर / स्केनर / लेपटॉप / नेटवर्किंग की मय पाटर्स रख-रखाव एवं टोनर रिफिल का कार्य कराने हेतु निम्नानुसार वार्षिक दरें (समस्त कर सहित) दी जानी है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	कुल वार्षिक राशि में (समस्त कर सहित) अंको/शब्दों में
1.	88 कम्प्यूटर सिस्टम, 18 लेपटॉप, 59 प्रिन्टर, 15 स्कैनर और नेटवर्किंग की मय पाटर्स वार्षिक रख-रखाव एवं टोनर रिफिलिंग का कार्य ।	1.80 लाख	

4. दरें 01 वर्ष के लिए मान्य होंगी। कम्प्यूटर/प्रिन्टर/स्केनर/लेपटॉप/ नेटवर्किंग की मय पाटर्स रख-रखाव एवं टोनर रिफिल का कार्य सामान्यतः एक वर्ष के लिए करवाया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

*Handwritten signature*

*Handwritten number 2/6*

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN**  
**OFFICE OF THE DIRECTOR STATE INSURANCE & PROVIDENT**  
**FUND DEPARTMENT, JAISING HIGHWAY ROAD, BANIPARK, JAIPUR**

कार्यालय राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के  
कम्प्यूटर उपकरण रख-रखाव एवं टोनर रिफिल के कार्य हेतु निविदा की शर्तें  
निविदादाता को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदायें भेजते  
समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

(अ) **पात्रता (Eligibility Criteria)** जो अनिवार्य है, के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1. फर्म/कम्पनी/संस्था/एजेन्सीज का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर निविदादाता के हस्ताक्षर करना होगा।
3. राजकीय विभाग, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, संस्था में कम्प्यूटर उपकरण/नेटवर्किंग रखरखाव मय टोनर रिफिल के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।
4. फर्म का पैन कार्ड नम्बर के दस्तावेज, जीएसटी पंजीयन का प्रमाण पत्र (नियमानुसार) तथा किसी राजकीय संस्था/विभाग से ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का सेल्फ अटेस्टेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ब) **कार्य सम्बन्धित शर्तें व विवरण :-**

1. कम्प्यूटर उपकरण रखरखाव मय टोनर रिफिल के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले पार्ट्स/टोनर रिफिलिंग/इंक आदि का उपयोग करना होगा।
2. राज्य बीमा एव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर मुख्यालय के समस्त कम्प्यूटर उपकरण / नेटवर्किंग रखरखाव मय टोनर रिफिल की शिकायत का उसी दिन निवारण करना होगा।
3. अनुरक्षण के अन्तर्गत बदले जाने वाले पार्ट्स खराब हुये पार्ट्स के कम्पैटिबल होंगे तथा उच्च कान्फीग्रेशन के ही होंगे।
4. खराब हुए आईटम को तीन दिवस की अवधि में ठीक कर विभाग को उपलब्ध करना होगा।
5. कम्प्लेन्ट्स काल को फर्म द्वारा संधारित किये जाने की व्यवस्था एवं काल अटेंड टाईम 2 घंटा होगा।
6. अनुबंधित फर्म द्वारा समस्त प्रकार के पार्ट्स लगाने होंगे एवं सभी मेक के टोनर रिफिल निविदा अवधि में लगाने होंगे।
7. प्रिंटर के वार्षिक रखरखाव अवधि में प्रत्येक बार टोनर रिफिल का कार्य फर्म को ही करना होगा।
8. लगभग 80 प्रिन्टर्स के टोनर रिफिलिंग/इंक टैंक रिफिल का कार्य करना होगा। टोनर रिफिलिंग मय पार्ट्स करवाये जायेंगे। विभाग द्वारा सिर्फ सूची में अंकित नम्बरों के खाली टोनर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
9. टोनर रिफिलिंग के पश्चात् प्लास्टिक की अच्छी थैली में पैक कर दिया जायेगा।
10. टोनर रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने से एक दिवस में टोनर रिफिलिंग करके देना होगा।
11. रिफिलिंग के बाद अगर टोनर खराब मिलता है तो उस टोनर को पुनः रिफिल करके देना होगा।

(स) **सामान्य शर्तें :-**

1. स्वीकृत दरों के अलावा अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
2. फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राज.लोक उपापन नियम, 2013 की सभी शर्तों एवं नियमों की पालना करनी होगी तथा समय पर उक्त उपकरणों की मरम्मत/टोनर रिफिल नहीं करने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी।
3. समस्त दरें स्याही से भरी होनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरी गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा बन्द एवं शील्ड लिफाफे में ही भेजी जानी चाहिये।

20/11/17

3  
6

4. निविदा में दी गयी दर किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी किया जाना आवश्यक है।
5. विभाग किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्न दर वाली निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना रद्द कर सकती है।
6. निविदादाता को संलग्न सभी प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित से प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे।
7. सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने के 15 दिवस में संविदा के **05 प्रतिशत की कार्य संपादन प्रतिभूति** जमा करानी होगी तथा **नियमानुसार 500/-** रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी दरें निरस्त कर दी जावेगी।
8. **कार्य संपादन प्रतिभूति** को संविदा की समाप्ति के दो माह बाद संतोषप्रद कार्य होने पर निविदादाता के लिखित रूप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी।
9. अनुबंधित फर्म कम्प्यूटर उपकरण रखरखाव मय टोनर रिफिल कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरी फर्म को **सबलेट नहीं करेगा** अगर अनुबंधित फर्म द्वारा सबलेट किया गया तो ठेका निरस्त कर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. कम्प्यूटर उपकरण रखरखाव मय टोनर रिफिल के लिये सिस्टम अनुभाग तथा प्रभारी अधिकारी की देखरेख में निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
11. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार **निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर** का होगा।
12. बिल का भुगतान त्रैमासिक, सिस्टम अनुभाग से कार्य की संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर किया जायेगा।
13. फर्म के द्वारा प्रति कॉल रिपोर्ट सिस्टम अनुभाग को प्रस्तुत करनी होगी एवं एक प्रति बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
14. उक्त कार्यों हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक **11/3/24** सायं 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
15. सफल निविदादाता द्वारा बीच में कार्य छोड़ दिया जाता है या कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. अनुबन्ध की अनुमोदित दरें स्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी। जिसे पारस्परिक सहमति से तीन माह और बढ़ाई जा सकती है। दी गई दर पर फर्म कार्य करने के लिये बाध्य होगी।
17. इंजीनियरों को अनुबंधित फर्म द्वारा पहचान पत्र तैयार करके देना होगा, जिसे इंजीनियरों को कार्यालय में प्रवेश करते समय लेके आना होगा।
18. कम्प्यूटर उपकरण/लेपटॉप/स्केनर वार्षिक रखरखाव अवधि में चालू रहने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
19. संवेदक द्वारा इंजीनियरों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। कर ना जमा कराने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
20. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये इंजीनियरों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
21. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई0एस0आई0 करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. फर्म/संस्था द्वारा लगाये जाने वाले इंजीनियरों का सत्यापन फर्म को आवश्यक रूप से करना होगा।
23. यदि अनुबंधित फर्म के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मचारी न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है तो उस पर आने वाले समस्त दायित्वों को अनुबंधित फर्म को ही वहन करना होगा। इस सम्बन्ध में इस **कार्यालय प्रशासन** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दस्तावेज

(4/6)

24. अनुबंधित फर्म द्वारा लगाये गये इंजीनियरों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल / अपंग हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी एवं दायित्व अनुबंधित फर्म का होगा। इसके लिये सरकार व इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. कम्प्यूटर उपकरण/नेटवर्किंग रखरखाव मय टोनर रिफिल कार्य में लगाये जाने वाले इंजीनियरों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिये पूर्णरूप से अनुबंधित फर्म जिम्मेदार होगा। इन कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन करने की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म होगी।
26. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर का होगा।
27. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे अनुबंधित फर्म को मानना होगा।
28. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।
29. सिस्टम अनुभाग द्वारा कम्प्यूटर उपकरणों की प्राप्त शिकायत का इन्द्राज कर फर्म से कार्य करायेंगे तथा इसकी मोनेटरिंग सिस्टम अनुभाग द्वारा की जायेगी।
30. स्टेण्ड बाई आईटम का स्पेसिफिकेशन खराब हुये आईटम के स्पेसिफिकेशन के अनुसार होना चाहिये।
31. तीन माह में प्रत्येक आईटम की प्रिवेन्टिव मँटीनेंस करनी होगी। भुगतान हेतु बिल के साथ प्रिवेन्टिव सर्विस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
32. रिफिलिंग आवश्यकता अनुसार जगह होने पर मुख्यालय स्थित भण्डार में ही करनी होगी अथवा जगह नहीं होने पर स्वयं के स्थान पर रिफिलिंग करके लानी होगी, जिसके लिए खाली टोनर मुख्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति विभाग द्वारा दिलवायी जावेगी। कार्ट्रिज की जाँच हेतु फर्म द्वारा प्रिन्टर स्वयं का रखना होगा। विभाग प्रिन्टर उपलब्ध नहीं करायेगा।
33. सभी रिफिलिंग टोनरों में निम्नांकित कम्पनी व मात्रा में इंक डालनी होगी। जिससे सूची में अंकित संख्या से अधिक संख्या में प्रिन्ट निकलने चाहिये। जांच करने पर कम मात्रा में प्रिन्ट आने पर पुनः रिफिल करके देना होगा।

टोनर मेक /मॉडल	इंक की मात्रा	प्रिन्ट प्रतियाँ
36A, 55A, 337, 326, 30A कैन्नन, एच.पी. *Epson M2170 , Epson M1170	80, 120, 280 ग्राम	1000 से 1400 के लगभग

नोट—\* Epson M2170 , Epson M1170 प्रिन्टरों में इंक टैंक की रिफिलिंग करनी होगी।

34. संविदा फर्म द्वारा किसी उपकरण को मरम्मत में अधिक समय लगने पर समान विशिष्टियों वाला उपकरण प्रतिस्थापित करना होगा। मरम्मत होकर आने पर मूल उपकरण को पुनः लगाना होगा।
35. निविदा भरने से पूर्व कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में आकर कम्प्यूटर उपकरणों का निरीक्षण/जानकारी की जा सकता है।
36. विभाग से कम्प्यूटर उपकरण बाहर ठीक करने हेतु ले जाने पर स्टोर से गेटपास लेना होगा।
37. अनुबंधित फर्म को कम्प्यूटर उपकरण रखरखाव मय टोनर रिफिल कार्य में प्रयुक्त होने वाले समस्त सामान एवं उपकरण स्वयं आपूर्ति करने होंगे।

*Handwritten signature/initials*

5  
6

38. किसी भी इंजीनियर द्वारा कार्य नहीं करने या संतोषपत्र कार्य नहीं करने की स्थिति में निम्न प्रकार से भुगतान राशि से पैनल्टी कटौति की जावेगी:

(अ) जिस कम्प्यूटर उपकरण/यूनिट ठीक नहीं करने पर, उस उपकरण का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा प्रति कम्प्यूटर उपकरण प्रति दिवस 200/- (रूपये दो सौ प्रति दिन) पेनल्टी लगाई जायेगी।

(ब) कार्य बार-बार अंसतोषप्रद होने पर नियमानुसार विभागीय उपापन कमेटी द्वारा ठेका समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है अथवा माह के बिल से कटौति की जा सकती है।

39. अनुबंधित फर्म द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध को भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में संविदा/ठेका समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का होगा।

40. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को बिना पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताये संविदा/ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(द) कार्य संपादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्त :-

1. कार्य संपादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2. निम्नलिखित मामलों में कार्य संपादन प्रतिभूति समपूहत (फोरफिट) कर ली जावेगी।

1. जब संविदा के किन्ही निबंधन/शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

2. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3. कार्य संपादन प्रतिभूति को समपूहत (फोरफिट) करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)

कार्यालयाध्यक्ष

राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग

राज. जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पूरा पता.....

मोबाईल/टेलिफोन नं.....

6  
6